



**इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड**  
नवरत्न कम्पनी  
(भारत सरकार का उपक्रम)  
**IRCON INTERNATIONAL LIMITED**  
NAVRATNA COMPANY  
(A Govt. of India Undertaking)



**IRCON/SECY/STEX/124**

**27<sup>th</sup> August, 2026**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BSE Limited</b><br>Listing Dept./ Dept. of Corporate Services<br>Phiroze Jeejeebhoy Towers,<br>Dalal Street,<br>Mumbai – 400001<br><b>बीएसई लिमिटेड</b><br>लिस्टिंग विभाग / कॉर्पोरेट सेवा विभाग<br>पी. जे. टावर्स, दलाल स्ट्रीट,<br>मुंबई- 400001<br>Scrip code / ID: <b>541956 / IRCON</b> | <b>National Stock Exchange of India Limited</b><br>Listing Department<br>Exchange Plaza, Plot no. C-1, G Block,<br>Bandra –Kurla Complex,<br>Bandra (East), Mumbai – 400051<br><b>नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड</b><br>लिस्टिंग विभाग<br>एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट नं सी-1, जी ब्लॉक,<br>बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400051<br>Scrip Code: <b>IRCON</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Sub: Newspaper publication regarding 50<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company/ कंपनी की 50वीं वार्षिक आम बैठक के संबंध में समाचार-पत्र में प्रकाशन**

Dear Sir/ Madam, महोदय/महोदया,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in compliance with the Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide General Circular No.20/2020 dated 5<sup>th</sup> May, 2020, please find enclosed herewith Public Notice published in newspapers i.e., Financial Express (English edition) and Jansatta (Hindi edition) on 27<sup>th</sup> August, 2026 intimating that the 50<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company will be held on Thursday, 24<sup>th</sup> September, 2026 at 12:30 P.M., through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means.

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 47 के अनुसार और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 के अनुपालन में, कृपया 27 अगस्त, 2026 को समाचार पत्रों यानी फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी संस्करण) और जनसत्ता (हिंदी संस्करण) में प्रकाशित सार्वजनिक सूचना संलग्न पाएं, जिसमें सूचित किया गया है कि कंपनी की 50वीं वार्षिक आम बैठक गुरुवार, 24 सितंबर, 2026 को दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों से आयोजित की जाएगी।

कृपया उपरोक्त जानकारी रिकार्ड पर ले।

Thankyou/धन्यवाद,  
Yours faithfully/भवदीया,

(प्रतिभा अग्रवाल)/ (Pratibha Aggarwal)  
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी/ Company Secretary & Compliance Officer  
सदस्यता क्र./ Membership No.: F8874









| मौसम          |                  |
|---------------|------------------|
| तापमान        | नई दिल्ली        |
| अधिकतम- 33.4  | सूर्योदय- 05:56  |
| न्यूनतम- 26.5 | सूर्यास्त- 06:50 |

जनसत्ता

27 अगस्त, 2026

## खबर कोना

**घर के बाहर गोलियां बरसाने वाले दो पकड़े गए**  
जनसत्ता संवाददाता  
नई दिल्ली, 26 अगस्त।

विवेक विहार थाना क्षेत्र में एक घर पर गोलियां बरसा कर दहशत फैलाने वाले दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों की पहचान मुकेश नगर, शाहदरा अतुल उर्फ बाबी (22) और भास्कर (19) के रूप में हुई है। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने कट्टा और कारतूस बरामद किए हैं। शाहदरा जिला पुलिस उपायुक्त आरपी मीणा ने बुधवार को बताया कि 24 अगस्त को विवेक विहार पुलिस को ज्वाला नगर इलाकें में गोलियां चलाए जाने की सूचना मिली थी। पुलिस टीम को शिकायतकर्ता महिला ने बताया कि बाबी, यश, वंश, कृष पंडित, रुद्र और अन्य लड़कों ने उनके घर के सामने गोलियां बरसाई हैं और फरार हो गए।

**भाजपा अध्यक्ष के खिलाफ भ्रामक पोस्ट, शिकायत**  
जनसत्ता संवाददाता  
नई दिल्ली, 26 अगस्त।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गद्गी के सोशल मीडिया पर प्रसारित भ्रामक मामले पर दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। इस मामले पर बुधवार को दिल्ली भाजपा का एक सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने सांसद रामवीर सिंह बिष्टुड़ी के नेतृत्व में मध्य जिला पुलिस उपायुक्त रोहित राजबीर सिंह से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के संबंध में कांग्रेस पार्टी एवं अन्गी की ओर से सोशल मीडिया पर चलाई जा रही झूठी एवं भ्रामक पोस्ट पर विस्तृत शिकायत पत्र सौंपा है। बिष्टुड़ी के साथ मुलाकात करने वालों में पार्टी के प्रदेश महामंत्री विष्णु मितल व अधिवक्ता संकेत गुप्ता प्रमुख रूप से शामिल रहे। कांग्रेस व अन्य ने भाजपा अध्यक्ष के दक्षिण भारत भ्रमण के दौरान श्रावण मास में मांसाहारी भोजन करने संबंधी सोशल मीडिया पर जानबूझकर भ्रामक पोस्ट साझा की। इस पूरे मामले पर भाजपा ने मुकदमा दर्ज करके जांच एवं कार्रवाई की मांग की है।

# राजधानी

नई दिल्ली

**राजधानी के कई हिस्सों में हुई बारिश, उमस ने बढ़ाई परेशानी**  
जनसत्ता संवाददाता  
नई दिल्ली, 26 अगस्त।

दिल्ली में बुधवार को सुबह के हल्की बारिश होने और बादलों के छाए रहने से लोगों को गर्मी से मामूली राहत मिली। सुबह साढ़े आठ बजे तक राजधानी में अलग-अलग जगहों पर कुल 8.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, बुधवार तक कुल 354.1 मिमी बारिश हो चुकी है जबकि 2025 के पूरे अलग-अलग माह में यह 400.81 मिमी रिकार्ड की गई थी। बुधवार को अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोपहर में राजधानी के कई इलाकों में हल्की और मध्यम स्तर की बारिश हुई जिसकी वजह से कई जगहों पर जलभराव की परेशानी भी सामने आई। बारिश के बाद लोगों को गर्मी और उमस दोनों ने परेशान किया। सापेक्ष आर्द्रता का स्तर सुबह साढ़े आठ बजे 91 फीसद रिकार्ड किया गया जो शाम साढ़े पांच बजे 77 फीसद रहा। आइएमडी के अनुसार, गुरुवार को भी आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने का पूर्वानुमान बताया है। 28 अगस्त से एक सितंबर से आंशिक तौर पर बादल छाए रहने की संभावना है।

**पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन ने हाई कोर्ट का रुख किया**  
जनसत्ता संवाददाता  
नई दिल्ली, 26 अगस्त।

आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन ने फरवरी 2020 के दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो (आईबी) अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में अपनी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। हुसैन ने आरोप लगाया कि जनता के आक्रोश को शांत करने के लिए जांच एजेंसियों ने उन्हें इस मामले में फंसाने के इरादे से जांच की। सोमवार को दायर की गई इस अपील पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है। हुसैन ने अपनी अपील में कहा कि अपीलकर्ता के



**हुसैन** ने आरोप लगाया कि जनता के आक्रोश को शांत करने के लिए जांच एजेंसियों ने उन्हें इस मामले में फंसाने के इरादे से जांच की।

खिलाफ जांच शुरू से ही निष्पक्ष नहीं थी और उसका उद्देश्य जनता के आक्रोश को शांत करने के लिए उसे इस मामले में फंसाना था। प्राथमिकी में पहले की तारीख और समय दर्ज किया गया है। छह मार्च 2020 तक, यानी जब तक अपीलकर्ता को एक अन्य मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया,

यमुना नदी और नालों के किनारे

**धोबी घाटों को बंद कराने की तैयारी**

**जलभराव को आपदा मानकर करें युद्धस्तर पर कार्रवाई : उपराज्यपाल**

नई दिल्ली, 26 अगस्त (संवाददाता)।

राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को हुई भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई जिससे आमजन मानस को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। जलजमाव की समस्या को उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वो इसको 'आपदा' मानकर युद्धस्तर पर कार्रवाई करें। संधू ने मंगलवार देर शाम को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्थिति पर समीक्षा बैठक भी की। साथ ही यह कहा कि उनके निर्देशों का पूरी तरह



कार्यप्रणाली पर गहरी चिंता भी जताई गई। अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि धोबी घाटों से निकलने वाली डिजेंट-युक्त पानी से नदी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण को सख्त निर्देश दिए गए हैं। दोनों सरकारी एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसे धोबी घाटों को प्राथमिकता के आधार पर बंद कराने या फिर उनका दूसरी जगह स्थानांतरित करने का काम करें। साथ ही धोबी घाटों को कपड़े धोने की उचित सुविधाओं वाली वैकल्पिक जगहों की तलाश करें। एक अनुमान के

मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में करीब 60 धोबी घाटों का संचालन किया जा रहा है। अकेले नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) क्षेत्र में 17 धोबी घाट संचालित होते हैं, जिनका रसायनिक पानी को रोकने के लिए एनडीएमसी पहले से एक योजना पर चरणबद्ध तरीके से काम कर रही है। सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान राजधानी के अलग अलग हिस्सों में यमुना के किनारे या फिर नालों के आसपास चलने वाले अवैध धोबी घाटों पर भी लगाम लगाने के निर्देश दिए हैं। विशेषकर दिल्ली

प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) को अवैध धोबी घाटों की निगरानी करने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस पूरे मामले में तीनों सरकारी एजेंसियां एमसीडी, डीडीए और डीपीसीसी समन्वय के साथ तेजी के साथ कार्रवाई करेंगी। रसायनिक यौगिक की वजह से होने वाले झाग के कारकों को कम करने को लेकर ओखला बैराज के री-डिजाइन की योजना भी काम किया जा रहा है। इस मामले पर दिल्ली सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों मिलकर काम कर रहे हैं।

**लारेंस बिश्नोई का सहयोगी दीपक खत्री हवाई अड्डे से पकड़ा गया**  
जनसत्ता संवाददाता  
नई दिल्ली, 26 अगस्त।

दिल्ली पुलिस ने जेल में बंद गिरोगेबाज (गैंगस्टर) लारेंस बिश्नोई की कानूनी टीम से जुड़े दीपक खत्री को यहां इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारी ने बुधवार को बताया कि वकील खत्री के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था, जिसके कारण उसे हवाईअड्डे पर रोककर गिरफ्तार कर लिया गया।

**बेदखली नोटिस पर अंतरिम रोक संबंधी रेस क्लब की याचिका खारिज**  
जनसत्ता संवाददाता  
नई दिल्ली, 26 अगस्त।

राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने दिल्ली रेस क्लब की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने इस महीने की शुरुआत में केंद्र सरकार की ओर से जारी बेदखली आदेश पर अंतरिम रोक लगाने का अनुरोध किया था। अदालत ने कहा कि क्लब अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में विफल रहा है। क्लब ने इस वर्ष 11 अगस्त को संपदा अधिकारी द्वारा दिल्ली रेस क्लब को सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम के तहत बेदखली आदेश के खिलाफ यह याचिका दायर की थी। अदालत ने मंगलवार को पारित अपने आदेश में कहा कि 1994 के बाद केंद्र सरकार ने क्लब के पट्टे का नवीनीकरण करने संबंधी कोई दस्तावेज जारी नहीं किया। कई अवसर दिए जाने के बावजूद क्लब ने संपदा अधिकारी के समक्ष न तो कोई जवाब दाखिल किया और न ही अपना कोई पक्ष रखा और इसके बाद केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और अन्य सामग्री के आधार पर संपदा अधिकारी ने बेदखली का आदेश पारित कर दिया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीतांबर दत्त ने कहा कि मेरा सुविचारित मत है कि अपीलकर्ता (क्लब) विवादित आदेश पर रोक लगाने के लिए प्रथम दृष्टया कोई ठोस आधार प्रस्तुत करने में विफल रहा है। इसलिए अंतरिम रोक के लिए दायर आवेदन खारिज किया जाता है। न्यायाधीश ने कहा कि क्लब को संपदा अधिकारी के समक्ष अपना जवाब दाखिल करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था। संपदा अधिकारी के रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलकर्ता को अपना जवाब और साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए अधिक अवसर दिए गए थे, लेकिन उसने अपना जवाब दाखिल नहीं किया। अदालत ने इस बात को रेखांकित किया कि 1994 के बाद केंद्र सरकार ने क्लब के पट्टे के नवीनीकरण के लिए कोई दस्तावेज जारी नहीं किया था। अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता ने दलील दी है कि वह बिना किसी चूक के नियमित रूप से किराए का भुगतान करता रहा है, इसलिए उसे अनधिकृत कब्जाधारी नहीं कहा जा सकता।

**आज से दिल्ली में 35 रुपए किलो के भाव मिलेगा प्याज**  
जनसत्ता संवाददाता  
नई दिल्ली, 26 अगस्त।

प्याज की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार गुरुवार से दिल्ली में बफर स्टॉक का प्याज 35 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचेगी। देश के कई शहरों में प्याज का खुदरा भाव 55 से 60 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है। केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रल्हाद जोशी गुरुवार को दिल्ली में रियायती दर पर प्याज की बिक्री की शुरुआत करेंगे। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। सरकार ने 2026 के लिए प्याज का 1.21 लाख टन का 'बफर स्टॉक' तैयार किया है। इसी भंडार से प्याज बाजार में उतारा जाएगा। इस खुदरा बिक्री का संचालन तीन एजेंसियां भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (नेफेड), भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (एनसीसीएफ) और केंद्रीय भंडार करेंगी। एनसीसीएफ के प्रबंध निदेशक अनीस जोसेफ चंद्रा ने बताया कि हम कल दिल्ली में बिक्री शुरू करेंगे और सप्ताहांत तक इसे एनसीएअ क्षेत्र में भी शुरू कर दिया जाएगा। एनसीसीएफ के पास प्याज का करीब 62,000 टन बफर स्टॉक है। इसमें से महाराष्ट्र के नासिक से 400 टन प्याज रेल के जरिए दिल्ली भेजा जा रहा है। इसके लिए 'कांदा एक्सप्रेस' नाम से चलाई गई विशेष रेलगाड़ी के गुरुवार को दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। एनसीसीएफ दिल्ली में केंद्रीय भंडार के 100 स्टोर के जरिए प्याज बेचेगा। इसके अलावा मंदर डेयरी के करीब 300 बिक्री केंद्रों के जरिए प्याज बेचने को लेकर भी बातचीत चल रही है।

**इस्कॉन**  
इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड  
(भारत सरकार का उपक्रम)  
नवरत्न कम्पनी  
पंजीकृत कार्यालय : सी-4, इंडियन सेक्टर, लक्नेव, नई दिल्ली-110017, भारत  
टेलीफोन नं.: +91-11-26530265, फैक्स नं.: 91-11-26554000, वेबसाइट: www.ircon.org, ई-मेल: investors@ircon.org  
CIN: L45203DL1976GO008171

**शेयरधारकों की 50वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना**  
1. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के लागू होने वाले प्रावधानों एवं उसके अधीन बने नियमों और सेबी (सूचीबद्धता और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("सेबी (एलओडीआर) विनियम") के साथ पठित कारपोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी सामान्य परिपत्र दिनांक 22 सितम्बर, 2025 तथा इस संबंध में पूर्व में जारी परिपत्र ("परिपत्र") के अनुपालन में 50वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में निर्धारित कार्य को पूरा करने हेतु कंपनी के सदस्यों की 50वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम/मोटिंग") **वीडियो कॉन्फ्रेंस ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("ओवीएम")** के माध्यम से **गुरुवार, 24 सितंबर, 2026 को दोपहर 12:30 बजे** आयोजित की जाएगी।  
2. परिपत्रों तथा सेबी (एलओडीआर) विनियमों के अनुपालन में, वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 के साथ वार्षिक आम बैठक की सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सदस्यों को भेजी जा रही है, जिनके ई-मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के वेब-लिंग वाले पत्र जन शेयरधारकों के पंजीकृत पते पर भेजे जा रहे हैं जिनके ई-मेल पते कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओं) के पास पंजीकृत नहीं हैं।  
3. सदस्य नोट करें कि वार्षिक आम बैठक की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 कंपनी की वेबसाइट **www.ircon.org** पर "निवेशक संबंध" खण्ड के अंतर्गत और स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः **www.bseindia.com** और **www.nseindia.com** पर उपलब्ध होगी। सूचना नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल")/एजीएम के दौरान रिपोर्ट ई-वोटिंग सुविधा और ई-वोटिंग प्रणाली प्रदान करने हेतु एजीएम की वेबसाइट **www.evoting.nsdl.com** पर भी उपलब्ध होगी। सदस्य केंवल वीसी/ओवीएम सुविधा के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में उपस्थित हो सकते हैं एवं भाग ले सकते हैं।  
4. ई-मेल पते पंजीकृत/अद्यतन करने का तरीका :  
(क) डिपॉजिटरी के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे डिपॉजिटरी प्रतिभागी के माध्यम से उन्हें पंजीकृत करें तथा मौखिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य कंपनी के रजिस्ट्रार टू एन इश्यू एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट, अलंकित एसाइनमेंट्स लिमिटेड, 205-208, अन्वरकली कॉम्प्लेक्स, झकेवाला एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055 (अलंकित) को लिखित अनुरोध भेजकर अथवा पर ई-मेल **ita@alankit.com** द्वारा पंजीकृत करें।  
(ख) जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं वे निम्नलिखित तरीके से सूत्रर भाईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं :  
(i) मौखिक रूप में शेयर रखने के मामले में, कृपया फोलियो नम्बर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाण पत्र की स्कैन की हुई प्रति (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) को **ita@alankit.com** पर ई-मेल द्वारा उपलब्ध कराएं।  
(ii) डीमैट मॉड में शेयर रखने के मामले में, कृपया डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकों की डीपीआईडी + सीएलआईडी अथवा 16 अंकों की लामार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर अथवा समेकित एकाउंट स्टेटमेंट की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) को **ita@alankit.com** पर ई-मेल द्वारा उपलब्ध कराएं। यदि आप डीमैट मॉड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक हैं, तो कृपया वार्षिक आम बैठक की सूचना में निर्गत लिखित पद्धति को संपूर्ण में लें। सदस्यों को परामर्श दिया जाता है कि ई-वोटिंग सुविधा प्राप्त करने के लिए वे अपने डीमैट खाते में अपना मोबाईल नंबर और ईमेल पते अपडेट करें।  
(ग) विकल्पतः, शेयरधारक/सदस्य उपरोक्त दस्तावेज उपलब्ध कराने के पश्चात ई-वोटिंग हेतु सूत्रर भाईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए **evoting@nsdl.com** पर अनुरोध भेज सकते हैं।  
5. **रिपोर्ट ई-वोटिंग/एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने का तरीका:**  
(क) सदस्यों को एनएसडीएल द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली ("ई-वोटिंग") के माध्यम से एजीएम की सूचना में बताए गए प्रस्तावों पर अपने मतदान का अधिकार प्रयोग करने की सुविधा मिलेगी। डीमैट मॉड, फिजिकल मॉड में शेयर रखने वाले सदस्यों को ई-वोटिंग का तरीका तथा जिन सदस्यों ने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं कराए हैं उसका तरीका एजीएम की सूचना में प्रदान किया जाएगा।  
(ख) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान हेतु सुविधा वार्षिक आम बैठक के दौरान भी उपलब्ध करायी जाएगी तथा जो सदस्य वार्षिक आम बैठक के दौरान उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिपोर्ट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्ताव पर अपना मतदान नहीं किया होगा और ऐसा करने के लिए प्रतिबंधित नहीं होंगे, वे वार्षिक आम बैठक के दौरान मतदान करने के पात्र होंगे।  
(ग) रिपोर्ट ई-वोटिंग एवं वार्षिक आम बैठक में वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया वार्षिक आम बैठक की सूचना में उपलब्ध करायी जाएगी।  
6. **लामार्थी प्राप्त करने के लिए अधिवेश पंजीकृत करने का तरीका :**  
सेबी मास्टर परिपत्र दिनांक 6 फरवरी, 2026 के साथ पठित अन्य लागू सेबी परिपत्र एवं सेबी (एलओडीआर) विनियम के विनियम 12 के अनुपालन में, सदस्य नोट करें कि लामार्थी, यदि घोषित होता है, का भुगतान केंवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाएगा। इसलिए, इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपना बैंक खाता विवरण/मंडेट अपने डीपी के पास अपडेट करें। मौखिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी या उसके आरटीए के पास अपने संबंधित मौखिक पृष्ठों के लिए पैन, संपर्क विवरण (पिन और मोबाईल नंबर, सहित डाक का पता), बैंक खाता विवरण, नमूना हस्ताक्षर, आदि सहित अपना केवाईसी विवरण अपडेट करें।  
7. **सदस्यों से अनुरोध है कि वे वार्षिक आम बैठक की सूचना में दी गई सभी दिग्विधियों और विशेषतः, ई-मेल पते पंजीकृत/अद्यतन करने, वार्षिक आम बैठक में भाग लेने, रिपोर्ट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के तरीके हेतु निर्देशों तथा लामार्थी सम्बन्धित सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ें।**  
कृते इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड  
हस्ता./—  
(प्रतिभा अग्रवाल)  
कम्पनी सचिव

**ऊर्जा विकास की.**  
**भारत के सबसे बड़े अक्षय ऊर्जा IPPs में से एक.**

**जुनिपर ग्रीन एनर्जी लिमिटेड**  
कॉर्पोरेट पहचान संख्या: U40100DL2011PLC228318

**30 जून, 2026 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के अलेखापरीक्षित (स्टैंडअलोन और समेकित) वित्तीय परिणाम**

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 और 47 के अनुसार, तथा लेखा-परीक्षा समिति की सिफारिश के आधार पर, जुनिपर ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ("**कंपनी**") के निदेशक मंडल ने बुधवार, 26 अगस्त, 2026 को आयोजित अपनी बैठक में 30 जून, 2026 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा जारी सीमित समीक्षा रिपोर्ट के साथ अलेखापरीक्षित (स्टैंडअलोन और समेकित) वित्तीय परिणामों पर विचार किया और उन्हें अनुमोदित किया।  
उपयुक्त अलेखापरीक्षित (स्टैंडअलोन और समेकित) वित्तीय परिणाम के साथ सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा जारी सीमित समीक्षा रिपोर्ट, कंपनी की वेबसाइट **www.junipergreeneenergy.com** पर उपलब्ध हैं तथा उक्त वित्तीय परिणामों को नीचे दिए गए विक्क रिस्पॉन्स ("**व्यूआर**") कोड को स्कैन करके भी देखा जा सकता है।  

कृते एवं हितें  
**जुनिपर ग्रीन एनर्जी लिमिटेड**  
हस्ता./—  
**अंकुश मलिक**  
पूर्णाकालिक निदेशक और सीईओ  
डीआईएन: 07978604

दिनांक: 26 अगस्त, 2026  
स्थान: गुरुग्राम

**पंजीकृत कार्यालय:** 1103ए और 1103बी, 11वीं मंजिल, हेमकुट चैबर, 89, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019, दिल्ली, भारत  
**कॉर्पोरेट कार्यालय:** तीसरी और चौथी मंजिल, विलिंडा 4, कैडोर टेकपार्क, सेक्टर 48, गुरुग्राम-122001, हरियाणा, भारत  
**फोन:** +91 124 473 9600, ई-मेल: [investors@junipergreeneenergy.com](mailto:investors@junipergreeneenergy.com), वेबसाइट: [www.junipergreeneenergy.com](http://www.junipergreeneenergy.com)

epaper.jansatta.com